कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर।

पत्रांक: के0जी0बी0वी0 / चयन / पदस्थापन / संविदा / 3365-70 / 2024-25 दिनांक: 13.8.2024

विज्ञप्ति / सूचना

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, संख्या: 1553 / 68-5-2020, बेसिक शिक्षा अनुभाग-5, लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर 2020 एवं महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या: के0जी0बी0वी0 / 11308 / 2022-23 दिनांक 14.02.2023 के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर के अनुमोदन दिनांक 03.08.2024 के अनुपालन में जनपद बुलन्दशहर में संचालित 16 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों हेतु संविदा अनुबन्ध के आधार पर निर्धारित मानदेय पर केवल महिला अभ्यर्थियों से दिनांक 30.08.2024 की सायं 05:00 बजे तक, पंजीकृत डाक के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर के कार्यालय में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आमंत्रित पदों का विवरण निम्नवत है :-

क0 सं0	पद	विषय / योग्यता	मानदेय प्रतिमाह	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	ई0डब्ल्यू0 एस0
1	पूर्णकालिक	हिन्दी / संस्कृत (हिन्दी एवं संस्कृत से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)।	24200	2	1	–	1	–	–
2	पूर्णकालिक	अंग्रेजी (अंग्रेजी से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	24200	1	–	–	1	–	–
3	पूर्णकालिक	विज्ञान (जे0बी0पी0सी0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)।	24200	1	–	1	–	–	–
4	अंशकालिक	स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा (बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 एवं डी0पी0एड0 आदि उपाधि)	10780	2	1	–	–	–	1
5	अंशकालिक	कला, क्राफ्ट एवं संगीत / गृहशिल्प	10780	3	1	–	1	–	1
6	अंशकालिक	कम्प्यूटर प्रशिक्षित स्नातक	10780	4	2	1	–	–	1
7	उर्दू	उर्दू (बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा)	14520	3	–	–	3	–	–
8	मुख्य रसोइया	कक्षा-8 उत्तीर्ण	7590	1	1	–	–	–	–
9	सहायक रसोइया	कक्षा-8 उत्तीर्ण	5693	7	5	–	–	–	2
10	चपरासी	कक्षा-8 उत्तीर्ण	6325	3	1	1	–	–	1
11	चौकीदार	कक्षा-8 उत्तीर्ण	6325	3	2	–	–	–	1
		योग –		30	14	3	6	0	7

1. काउन्सिलिंग एवं साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
2. उक्त विज्ञप्ति विशेष अनुज्ञा याचिका 13563 / 2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।
3. विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास रक्षित होगा, जिस हेतु कोई भी वाद मान्य नहीं होगा।
4. विज्ञप्ति लिपिकीय त्रुटि के अधीन रहेगी।
5. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, संख्या: 1553 / 68-5-2020, बेसिक शिक्षा अनुभाग-5, लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर 2020 एवं महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या: के0जी0बी0वी0 / 11308 / 2022-23 दिनांक 14.02.2023 में उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

नोट:- रिक्तियों हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति, आवेदन पत्र एवं शासनादेश को जनपद बुलन्दशहर की वेबसाइट http://bulandshahr.nic.in पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त के संबंध में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जनपद बुलन्दशहर में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में चयन हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदित पद का नाम..
2. विषय (केवल शिक्षिकाओं हेतु)..
3. अभ्यर्थिनी का नाम (हिन्दी में)..
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)..
4. पिता का नाम (हिन्दी में).................... पति का नाम (हिन्दी में)....................
5. जन्मतिथि (हाईस्कूल / आठवीं के प्रमाण-पत्र के अनुसार) तिथि...... माह...... वर्ष......
6. 01 अप्रैल, 2024 को हाईस्कूल / आठवीं के प्रमाण-पत्र के आधार पर आयु.......... दिन.......... माह.......... वर्ष..........
7. (अ) गृह जनपद का नाम व पता (थाना सहित)..
   (ब) पत्र व्यवहार का पता..
8. ई-मेल यदि हो.................... मोबाइल नं0....................
9. जाति / वर्ग (सामान्य, अनु0जाति, अनु0जनजाति,अन्य पिछड़ी जाति, ई0डब्ल्यू0एस0)....................
10. दिव्यांगता यदि हो....................
11. अनुभव के0जी0बी0वी0, यदि हो....................
12. अभ्यर्थिनी की शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता का विवरण-

परीक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय	वर्ष	अनुक्रमांक	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हाईस्कूल							
इण्टरमीडिएट							
स्नातक							
प्रशिक्षण							
उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0							
अन्य							

13. संलग्नकों का विवरण

1	4....................
2	5....................
3	6....................

घोषणा

मैं शपथपूर्वक अभिकथन करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है तथा आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व समस्त अंकित विवरण का मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। चयन के पूर्व अथवा बाद में जाँचोपरान्त कोई भी विवरण असत्य अथवा गलत पाये जाने पर जिला शिक्षा परियोजना समिति को मेरा सेवा अनुबन्ध समाप्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने व भुगतान किये गये मानदेय की वसूली करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र / अंक पत्र आवेदन करने की तिथि के पूर्व से मेरे पास उपलब्ध है।

अभ्यर्थिनी का पठनीय हस्ताक्षर

(डॉ0 लक्ष्मीकान्त पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर।

ह0

Scanned with OKEN Scanner

पृ०सं०: के०जी०बी०वी० / चयन / पदस्थापन / संविदा / 3365-70 / 2024-25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय बुलन्दशहर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बुलन्दशहर।
4. समस्त सदस्य, जनपदीय चयन समिति, बुलन्दशहर।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जनपद बुलन्दशहर को विज्ञप्ति व आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति व आवेदन पत्र को जनपद बुलन्दशहर की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. संपादक दैनिक समाचार पत्र " दैनिक जागरण " एवं "हिन्दुस्तान" जनपद बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति न्यूनतम सरकारी दर पर न्यूनतम साइज में प्रदेश संस्करण में प्रकाशित करते हुए बिल दो प्रतियों में तथा विज्ञापन प्रकाशित होने वाले दिन का समाचार पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर।

Scanned with OKEN Scanne

संख्या-- 1553/68-5-2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति,
समस्त जनपद, उ0प्र0 (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर)।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 11 दिसम्बर, 2020

विषय— **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के नवीन चयन/पदस्थापन/संविदा के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विद्यमान विसंगतियों के निराकरण सम्बन्धी शासनादेश संख्या-625/68-5-2020, दिनांक 30.06.2020 एवं तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या-के0जी0बी0वी0/2302/2020-21, दिनांक 14.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के मूल अभिलेखों का नियुक्ति के समय प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से मिलान कर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करते हुए नवीन संविदा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कार्मिकों की नवीन संविदा की कार्यवाही उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार जनपदों में गतिमान है।

2— वर्तमान में प्रदेश में (कक्षा 6 से 8 तक) संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वार्डेन, पूर्णकालिक शिक्षिका एवं अंशकालिक शिक्षक/ शिक्षिका के लगभग 1000 से अधिक पद रिक्त हैं। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन हेतु पूर्व में निर्गत समस्त निर्गत आदेशों को अतिक्रमित करते हुए वर्ष 2020-21 में विद्यालयों का संचालन तथा शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का नवीन चयन/पदस्थापन/संविदा के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा- निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

(1) जनपदीय चयन समिति :

कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन की कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नलिखित जनपदीय समिति द्वारा सम्पादित की जायेगी:-

क्र0सं0	समिति	धारित पद
1.	मुख्य विकास अधिकारी (सम्बन्धित जनपद)	अध्यक्ष
2.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (सम्बन्धित जनपद)	सदस्य
3.	जिला विद्यालय निरीक्षक (सम्बन्धित जनपद)	सदस्य
4.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (सम्बन्धित जनपद)	सदस्य सचिव
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित राजकीय बालिका इण्टर/राजकीय इण्टर कालेज/सहायता प्राप्त इण्टर	सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

	कालेज के मनोविज्ञान की शिक्षक/शिक्षिका	
6	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा एवं परियोजना समिति द्वारा नामित एक अधिकारी	सदस्य

अंततर यह उल्लेखनीय है कि उक्त समिति द्वारा की गयी चयन की कार्यवाही पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) पदों का विवरण :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक F.No1-1/2020-IS-6 दिनांक 25 अगस्त 2020 द्वारा वर्ष 2020–21 हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	स्वीकृत पद का नाम	पदों की संख्या	
		मॉडल–I (100 बालिकाओं हेतु)	मॉडल–II (50 बालिकाओं हेतु)
1	वार्डन कम शिक्षिका	1	1
2	पूर्ण कालिक शिक्षिका	4	3
3	उर्दू शिक्षक/शिक्षिका	1	– *
4	अंश कालिक शिक्षक/शिक्षिका	3	3
5	पूर्णकालिक लेखाकार	1	1
6	मुख्य रसोईया	1	1
7	सहायक रसोईया	2	1
8	चपरासी	1	1
9	चौकीदार	1	1
	कुल योग	15	12

*मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक F.No1-1/2020-IS-6 दिनांक 25 अगस्त 2020 द्वारा मॉडल–I के लिए 347 विद्यालयों हेतु एवं मॉडल–II में केवल जनपद मुजफ्फरनगर के 04 के0जी0बी0वी (चरथावल, जानसठ, मोरना एवं पुरकाजी) में उर्दू भाषा के शिक्षण हेतु 01 उर्दू शिक्षिक/शिक्षिका का चयन स्वीकृत विद्यालयों में किया जाये, "प्रतिबन्ध" यह है कि जिन विकास खण्डों में 20 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी हो, उन्ही के0जी0बी0वी0 में उर्दू शिक्षिक/शिक्षिका का नवीन चयन किया जाये।

उपरोक्त पदों के सापेक्ष नवीन चयन मॉडल–I के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विषयवार व्यवस्था निम्नवत् की जायेगी :–

विषय	पद	मॉडल–I हेतु पदों की संख्या		
		पूर्णकालिक	उर्दू	अंशकालिक
गणित (बी0एस0सी0एम0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	–	–
विज्ञान (जेड0बी0सी0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	–	–
भाषा (हिन्दी एवं संस्कृत से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	-	–
सामाजिक विषय (भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से	पूर्णकालिक	01	–	–

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)				
अंग्रेजी (अंग्रेजी से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	-	-
उर्दू – बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण मे डिग्री या डिप्लोमा	उर्दू	-	01	-
कम्प्यूटर प्रशिक्षित स्नातक	अंशकालिक	-	-	01
स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा–बी0पी0एड0 सी0पी0एड एवं डी0पी0एड0 आदि उपाधि	अंशकालिक	-	-	01
कला, क्राफ्ट एवं संगीत / गृह शिल्प	अंशकालिक	-	-	01
कुल पद		05	01	03

उपरोक्त पदों के सापेक्ष नवीन चयन मॉडल-II के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विषयवार व्यवस्था निम्नवत् की जायेगी :–

विषय	पद	मॉडल–I हेतु पदों की संख्या		
		पूर्णकालिक	उर्दू	अंशकालिक
गणित (पी0सी0एम0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	-	-
विज्ञान (जेड0बी0सी0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	-	-
भाषा (हिन्दी–संस्कृत एवं अंग्रेजी में से न्यूनतम एक वर्ग में प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	-	-
सामाजिक विषय (भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	-	-
उर्दू – बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण मे डिग्री या डिप्लोमा	उर्दू	-	01	-
कम्प्यूटर प्रशिक्षित स्नातक	अंशकालिक	-	-	01
स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा–बी0पी0एड0 सी0पी0एड एवं डी0पी0एड0 आदि उपाधि	अंशकालिक	-	-	01
कला, क्राफ्ट एवं संगीत / गृह शिल्प	अंशकालिक	-	-	01
कुल पद		04	01	03

उल्लेखनीय है कि वार्डेन कम शिक्षिका के रिक्त पद पर नवीन चयन नही किया जायेगा। उक्त के स्थान पर रिक्त विषय के सापेक्ष पूर्णकालिक शिक्षिका मानदेय रू0 22000/– पर चयन किया जाये तथा सम्बन्धित के0जी0बी0वी0 मे वरिष्ठतम पूर्णकालिक शिक्षिका (अनुभव के आधार पर) द्वारा सम्बन्धित के0जी0बी0वी0 मे वार्डेन के कार्य एवं दायित्व का सम्पादन किया जायेगा।

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (कक्षा 6 से 8 तक) का पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समरूप है। निःशुल्क और

Scanned with OKEN Scanner

अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 एवं 25 में वर्णित मान एवं मानकों की अनुसूची के अनुसार शिक्षक/शिक्षिका का चयन किया जाये।

- नवीन चयन में यह सुनिश्चित किया जाये कि पूर्णकालिक शिक्षिका का चयन मुख्य विषयों के लिए यथा गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, अंग्रेजी एवं भाषा (हिन्दी एवं संस्कृत हेतु 01 शिक्षिका) तथा अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका का चयन पाठ्य सहगामी विषयों यथा कम्प्यूटर, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा तथा कला क्राफ्ट एवं संगीत के लिए किया जाए।
- नवीन चयन में यह सुनिश्चित किया जाये कि विषयवार निर्धारित अर्हता के सापेक्ष ही अभ्यर्थी का चयन/पदस्थापन किया जाये। उक्त से विचलन किसी भी दशा में न किया जाये। चयन समिति अनुमन्य पदों पर चयन के समय विषयों की निर्धारित अर्हता ध्यान रखेगी।
- मॉडल-I एवं मॉडल-II में उर्दू भाषा के शिक्षण हेतु 01 उर्दू शिक्षिक /शिक्षिका का चयन केवल भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विद्यालयों में किया जाये, "प्रतिबन्ध" यह है कि जिन विकास खण्डों में 20 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी हो, उन्ही के0जी0बी0वी0 में उर्दू शिक्षिक /शिक्षिका का नवीन चयन किया जाये।

(3) अर्हता :–

- पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
- अग्रेतर उल्लेखनीय है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, उन्हे चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या के0जी0बी0वी0/3–2/1916/2013–14 दिनांक 29–07–2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षको के लिए टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।
- उर्दू शिक्षक/शिक्षिका हेतु निर्धारित योग्यता बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होगी।
- कम्प्यूटर शिक्षक/शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0 सी0ए0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से 'ओ लेवल'/ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।
- कला, क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के शिक्षक/शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जायेगा।
- बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 आदि उपाधियां केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होंगी किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 अभ्यर्थियों हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य नहीं होगी।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

- पूर्णकालिक शिक्षिका, लेखाकार, रसोइया एवं सहायक रसोइया के पद पर महिला अभ्यर्थियों का ही नवीन चयन किया जायेगा।
- लेखाकार के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक वाणिज्य होगी तथा एम०एस०ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य होगा। डी०ओ०ई०ए०सी०सी० या समकक्ष संस्था से कम्प्यूटर शिक्षा में ओ लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।
- मुख्य रसोईया / सहायक रसोईया / चपरासी / चौकीदार हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होगी तथा अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक है। इनके लिए महिला होना तथा विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है।

(4) आयु :

- समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को 25 वर्ष होगी।
- समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को 45 वर्ष से अधिक न हो।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हो, किन्तु शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो जा रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, उन्हे चयन हेतु आयु सीमा मे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जाये, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी।

(5) <u>आरक्षण</u> – राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा।

(6) <u>चरित्र</u> – किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। चयन समिति अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में यथोचित समाधान करेगी।

(7) <u>चयन प्रकिया</u> :–

- कम से कम दो समाचार पत्रों में पदों का विज्ञापन किया जाय, जिसमें एक समाचार पत्र राष्ट्रीय स्तर तथा एक समाचार पत्र प्रदेश/जनपद स्तर पर पर्याप्त प्रचलन में हो, किया जाय। आवेदन हेतु 15 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन को जनपद की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। चयन का विज्ञापन जनपद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में अवश्य चस्पा किया जाये।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उनके द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन मे प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, उन्हे कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयो में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

भारांक दिया जाये, किन्तु, अधिकतम भारांक 30 प्रतिशत से अधिक नही दिया जाएगा।

- शिक्षिकों के चयन हेतु रिक्तियों का आगणन पदवार/विषयवार/वर्गवार जनपद स्तर पर किया जायेगा। तद्नुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए पदवार /विषयवार/वर्गवार पृथक-पृथक श्रेष्ठता सूची (मेरिट लिस्ट) बनायी जायेगी।
- शिक्षणेत्तर स्टाफ के चयन हेतु आवेदन आमंत्रण की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए निर्धारित प्रकिया के समान होगी।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों मे शैक्षिक स्टाफ यथा पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक/शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक/शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका तथा लेखाकार के पद हेतु अभ्यर्थी के चयन के लिए भारांक के अंको का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा.--

क्र.स.	परीक्षा/उपधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 10/100
2	इन्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 10/100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 20/100
4	प्रशिक्षण	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 30/100
5	भारांक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुभव	प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 30 अंक तक, जो भी कम हो

नोट--

(क) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम, जो आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

(ख) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला कम के अनुसार सूची में रखा जायेगा।

- रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी एवं चौकीदार के पद पर शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर चयन का औचित्य नही है अतः उक्त पदों पर चयन साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा।
- सत्यापन-- शिक्षक/शिक्षणेत्तर स्टाफ की नवीन चयन के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक द्वारा चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सम्बन्धित बोर्ड/परीक्षा संस्था से सत्यापन कराते हुए आधार एवं निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन अनिवार्यतः कराया जाए। सत्यापनोपरान्त सम्बन्धित के निम्नलिखित मूल अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में अनिवार्य रूप से सुरक्षित/संरक्षित किया जाये तथा सत्यापनोपरान्त ही मानदेय का भुगतान किया जाये :-

1. हाईस्कूल का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
2. इण्टर मीडिएट का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
3. स्नातक का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
4. बी०एड०/बी०पी०एड०/सी०पी०एड०/डी०पी०एड०/अन्य प्रशिक्षण उपाधि /परीक्षा का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(3) (18) (13)

- टी०ई०टी० उत्तीर्ण का अंक पत्र।
- मूल निवास प्रमाण पत्र (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)।
- आधार कार्ड (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)।

- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के स्टाफ के चयन की प्रक्रिया में काउन्सलिंग समिति में एक मनोवैज्ञानिक को विशेषज्ञ के रूप में सम्मिलित किया जायें ताकि अभ्यर्थियों की मनोदशा एवं दृष्टिकोण की परख भी की जा सके।
- रसोईया एवं सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक होगा तथा इनका साक्षात्कार 50 अंकों का होगा, जिसमें शारीरिक क्षमता हेतु 20 अंक, पाक विद्या के ज्ञान हेतु 20 अंक तथा अनुभव हेतु 10 अंक निर्धारित होंगे।
- चपरासी एवं चौकीदार का पद पूर्णकालिक होगा तथा इनके साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य हेतु 25 अंक तथा सामान्य ज्ञान हेतु 25 अंक निर्धारित होंगे।
- चयन समिति द्वारा प्रत्येक रिक्त पद के सापेक्ष 05 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी, जिसे आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सके। शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों हेतु प्रतीक्षा सूची जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी।
- शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची (प्रतीक्षा सूची सहित) का जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात पद रिक्त होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा विद्यालयों में शैक्षिक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों का पदस्थापन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जायेगा।
- उक्त समिति द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विषयवार रिक्त पदों की सूची नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसके सापेक्ष समस्त चयनित अभ्यर्थियों को विकल्प चयन का अवसर प्रदान किया जायेगा।
- सर्वप्रथम विकलांग महिला अभ्यर्थियों को उनके श्रेष्ठता क्रम के अनुसार काउन्सलिंग कराने हेतु चयन समिति के सम्मुख विद्यालय चयन का विकल्प प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के सम्मुख नोटिस बोर्ड पर चस्पा विद्यालय की सूची के समरूप सूची रखी जायेगी। उक्त सूची में से अभ्यर्थी एक रिक्त विद्यालय के सम्मुख अपना नाम विषय एवं हस्ताक्षर अंकित करेगा। उक्त प्रक्रिया प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण की जायेगी।
- उक्त प्रक्रिया से काउन्सलिंग के माध्यम से प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी से विकल्प प्राप्त किये जायेंगे। मेरिट के आधार पर विकल्प सूची से विद्यालय आवंटित किये जायेंगे। चयनित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय का विकल्प नहीं देने की स्थिति में समिति द्वारा उक्त अभ्यर्थी का उपलब्ध विद्यालय में पदस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

- चयन समिति के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / सचिव, चयन समिति द्वारा नियुक्ति पत्र उसी तिथि को निर्गत किये जायेंगे।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्मिकों के चयन / नियुक्ति की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 15 दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण कर ली जाये। नवीन चयन 11 माह 29 दिन के लिए किया जायेगा।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नवीन चयन की कार्यवाही वर्ष 2020–21 में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के नवीन संविदा होने के पश्चात् स्पष्ट रिक्त पदों पर की जायेगी।

(8) नवीन संविदा

- प्रत्येक शैक्षिक सत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के समस्त पद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की प्रोजेक्ट अप्रूवल बैठक में दिये गये निर्देशों के अधीन होगें।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का सेवा अनुबन्ध 11 माह 29 दिन के लिए किया जायेगा।
- कार्यरत वार्डेन / शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का व्यवहार संतोषजनक पाया जाता है तो आगामी सत्र हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नवीन संविदा की जायेगी।
- कार्यरत वार्डेन, पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक / शिक्षिका एवं उर्दू शिक्षक / शिक्षिका के कार्य व्यवहार एवं शैक्षिक प्रगति का वार्षिक मूल्यांकन सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा किया जायेगा।
- मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चौकीदार एवं चपरासी के कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन जिला समन्वयक बालिका शिक्षा एवं वार्डेन द्वारा किया जायेगा।
- लेखाकार के कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी एवं जिला समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा किया जायेगा।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चयनित शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों से प्रतिवर्ष नवीन संविदा हेतु अनुबन्ध पत्र भराया जायेगा। सेवा अनुबन्ध की कार्यवाही प्रतिवर्ष उक्त जनपदीय समिति के सदस्य सचिव द्वारा 15 फरवरी तक पूर्ण किया जायेगा।
- किसी कर्मी की सेवायें संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में मूल्यांकन कर्ता अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के उपरान्त प्राप्त उत्तर के आधार पर पत्रावली में उन परिस्थितियों का साक्ष्य सहित स्पष्ट आकलन किया जायेगा तथा जिलाधिकारी के समक्ष युक्ति युक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।
- सेवा अनुबन्ध में यह प्राविधान किया जाये कि यदि उसकी सेवाएं अनुपयुक्त पायी जाती हैं तो उन्हें एक माह का नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त कर दिया जायेगा। गम्भीर परिस्थितियों / वित्तीय अनियमितता / गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

[illegible] जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुष्ट प्रमाणों के आधार पर जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ संविदा समाप्त करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाये।

3 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या [illegible](1)/68-5-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4 शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
7 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वर्ष 2020-21 में संविदा होने के पश्चात उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में रिक्त पदों को एक माह के अन्दर पूर्ण कराने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष कुमार वर्मा)
विशेष सचिव ।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल: [illegible] दूरभाष: 0522-4024445, 2780384, 2781128

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा, निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद।

पत्रांकः-के0जी0बी0वी0/ 11308 /2022-23 दिनांक 14.2. 2023

विषयः कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षिकाओं के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया शासनादेश संख्या-2805/68-5-2023-02/2020 दिनांक 01 फरवरी, 2023 (छायाप्रति संलग्न), का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयन/पदस्थापन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जो निम्नवत् हैं:-

1. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्मिकों के लम्बित रिक्त पदों पर तत्काल संविदा पर नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर पदस्थापित किया जाये, जो विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-13553/2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।
2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के नवीन चयन/पदस्थापन/संविदा के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1553/68-5-2020 दिनांक 11.12.2020 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही पूर्ण की जाये।
3. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्मिकों की संविदा पर नवीन नियुक्ति हेतु अनिवार्य रूप से महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाये।

अतः उक्त शासनादेश दिनांक 01.02.2023 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों का पालन करते हुये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों पर नवीन चयन/पदस्थापन नियमानुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0:-के0जी0बी0वी0/ 11308 /2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
2. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद।
3. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद समस्त जनपद।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
5. जिला समन्वयक बालिका शिक्षा, समस्त जनपद।

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

3881
21-2-23

G20

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
मेरठ।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मेरठ मण्डल।

पत्रांकः एस0एस0ए0/ 3486-87 /2022—23 दिनांकः 20/02/2023

विषयः कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षिकाओं के चयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांकः के0जी0बी0वी0/11308/2022—23 लखनऊ दिनांक 14—02—2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आपको सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, जिसके द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयन/पदस्थापन किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त पत्र संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि आप महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, लखनऊ के पत्र दिनांक 14—02—2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

संलग्नक— उक्तवत्।

भवदीय,

17.02.23
(दिनेश कुमार यादव)
मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)
मेरठ।

पृ0सं0: एस0एस0ए0/ /2022—23 दिनांक वही।

प्रतिलिपि— महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ कीं सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)
मेरठ।

Scanned with OKEN Scanner

महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता
संख्याः–2805 / 68–5–2023–05 / 2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक : 01 ~~जनवरी~~ फरवरी 2023

विषयः–कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षिकाओं के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक–के0जी0बी0वी0 / 7992 / 2022–23, दिनांक 30–11–2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षिकाओं के चयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्मिकों के लम्बित रिक्त पदों पर संविदा पर नियुक्ति की कार्यवाही निम्नानुसार तत्काल कराने का कष्ट करें :–

(1) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्मिकों के लम्बित रिक्त पदों पर तत्काल संविदा पर नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर पदस्थापित किया जाये, जो विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–13553 / 2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

(2) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कार्मियों के नवीन चयन / पदस्थापन / संविदा के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–1553 / 68–5–2020 दिनांक 11–12–2020 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

(3) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्मिकों की संविदा पर नवीन नियुक्ति हेतु अनिवार्य रूप से महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाये।

3– प्रश्नगत प्रकरण में योजित मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–13553 / 2022 का शीघ्र निस्तारण कराने के लिए प्रभावी पैरवी / अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner